पत्र क्रमांक सं0.. 2709
दि0 25/03/2023
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
आवास अनुभाग–2
ई पत्रावली संख्या–49477
HOUS2-MS/1/23/2023-V-2-Awas Department
देहरादून, दिनांकः 22 मार्च, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत रायपुर, जनपद देहरादून एवं उसके समीप के क्षेत्रान्तर्गत विधानसभा परिसर एवं अन्य राजकीय कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब में हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में दूनघाटी महायोजना के भोपाल पानी, बडासी ग्राण्ट एवं काली माटी ग्राम की सीमा तक के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए फ्रीज जोन घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

इस क्षेत्र में समस्त प्रकार के निर्माण/विकास गतिविधियां, इस क्षेत्र की महायोजना निर्माण तक प्रतिबंधित रहेंगी।

Signed by Anand Bardhan
Date: 22-03-2023 11:42:56

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–

निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि प्रश्नगत अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में 50 प्रतियाँ मुद्रित करते हुए शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2–स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
E.E
3–सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4–सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5–मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6–उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7–संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
J.C.A
8–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि 05 माह की अवधि में उक्त क्षेत्र की महायोजना तैयार

कर शासन के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9–गाई फाईल।